RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अगस्त, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अगस्त माह के अन्त तक वर्षा का जोर काफी कम हो चुका है, परन्तु फिर भी कही–कही हल्की से भारी वर्षा होने के समाचार मिल रहे हैं। जब तक मानसून पूरी तरह नहीं छट जाता आलू की नई बुआई होने की सम्भावना कम है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ ढाल वाली व बालू की जमीन है वहाँ आलू की बुआई सम्भव है, परन्तु इसकी मात्रा ना के बराबर है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई फसल नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक ही आ पायेगी। कुछ इस प्रकार के समाचार हमें पंजाब से भी मिले हैं।

इस समय शीतगृहों से आलू की निकासी की गति तो ठीक है। शीघ्र ही इसकी गति और बढ़ जाने की प्रबल सम्भावना है। धीरे–धीरे हासन का आलू भी कम होता जायेगा और उत्तर प्रदेश के आलू की माँग बढ़ती जायेगी। अभी तो यह आशा की जा रही है कि सीजन की समाप्ति तक भण्डारित आलू पूरी तरह निकल जायेगा क्योंकि भण्डारणकर्ता भी अब इस निष्कर्ष पर पहुच गया है कि भण्डारित आलू को धीरे–धीरे निकालते रहना ही उचित रहेगा। आलू में

कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। आलू के भाव 700 से 1000 रूपए कुन्तल तक चल रहे हैं जो कि बीच–बीच में थोड़े चढ़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। इस प्रकार आलू में इस समय किसी भी प्रकार के मुनाफे की जगह नहीं है और भविष्य में भी कोई विशेष रेट बढ़ने की सम्भावना कम नजर आती है। अतः आलू को धीरे–धीरे निकालते रहना ही उचित रहेगा।

अनेक जनपदों में व अन्य प्रान्तों में भी बात करने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगस्त माह के अन्त तक 35 प्रतिशत निकासी हो जायेगी। यदि 35 प्रतिशत निकासी भी हो जाती है तो यह एक अच्छी बात होगी।

बीमा सम्बन्धी :

हमारे संज्ञान में आया है कि दो एक जनपदों में जिला उद्यान अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आलू सड़ने का बीमा सीधा किसानों के नाम से कराया जाए। इस सम्बन्ध में ज्ञात हो कि हमने चार बड़ी बीमा कम्पनियों से बातचीत की है और वह कोई भी भण्डारणकर्ता के नाम बीमा पॉलिसी देने को तैयार नहीं है। यदि आपके जिला उद्यान अधिकारी इस प्रकार के बीमे के लिए जोर डालते है तो आप उनसे बीमा कम्पनी का नाम पूछ लीजिए जो भण्डारणकर्ताओं के नाम से सीधा बीमा पालिसी दे सकें। उस कम्पनी से आप तुरन्त बात कर लें और यदि वह तैयार हो तो हमें भी सूचित कर दें, जिससे अगले वर्ष से शीतगृहों में आलू सड़ने का बीमा सीधा भण्डारणकर्ताओं के नाम से कराया जा सके।

लाइसेन्स नवीकरण पाँच वर्ष के लिए सम्बन्ध में :

हमें हर वर्ष शीतगृह लाइसेन्स के नवीकरण के सम्बन्ध में अनेक शीतगृहों के टेलीफोन आते रहते हैं कि उनके जिला उद्यान अधिकारी पाँच वर्ष के लाइसेन्स बनाने में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पाँच साल के लिए लाइसेन्स बनाना सम्बन्धी आदेश का शीतगृहस्वामी द्वारा न दिखा पाना है।

यद्यपि हम इस नियम को अपनी पत्रिका में पिछले पाच वर्षों में अनेक बार प्रकाशित कर चुके हैं किन्तु फिर भी अपने सदस्यों की सुविधा के लिये इसे फिर से प्रकाशित कर रहे हैं। ध्यान दें कि पाँच साल का लाइसेन्स चार वर्ष की फीस जमा करवाने पर अवश्य किया जायेगा व लाइसेन्स फीस के जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान पर जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं चाहे वह लाइसेन्स एक ही वर्ष के लिए ही क्यों न नवीकृत किया जाना हो।

पाँच वर्ष के लिए लाइसेन्स नवीकृत करने सम्बन्धी :

संख्या : 1061/58–2011–100(2)/2001

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश

सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग — लखनऊ : दिनांक 08.04.2011

विषय : निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 7, 14, 24, 25, 28 एवं 40 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को लाइसेसिंग अधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना संख्या : 379/58–1–2001–100(27)/96, दिनांक 23 अगस्त, 2001 के द्वारा लाइसेन्स देना विनियमन नियमावली 1976 की धारा 9 को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिए विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेन्स का नवीनीकरण पाँच वर्ष के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक वर्ष एवं पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा ही किया जाना है। निदेशालय से जारी पत्र संख्या–314/शीतगृह विविध–3, दिनांक 11 मई 2006 के बिन्दु–1 में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के पत्र दिनांक 10.01.2011 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निदेशालय के पत्र संख्या–314/शीतगृह विविध–3, दिनांक 11 मई 2006 को निरस्त किया जाता है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि एक वर्ष की भाँति पाँच वर्ष के लिए शीतगृह का नवीनीकरण भी जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)

शासनादेश :

शासनादेश जिसमें यह दिया हुआ है कि जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं।

संख्या : 3532/अठ्ठावन–1–98–100(28)/98

प्रेषक,

श्री अरविन्द मोहन
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै.क्षे.)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 1998

विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–44 के अधीन जारी निर्देश

. . . . . .

कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु समयावधि

11. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुये और लाइसेंसिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे और जनपदीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी एवं लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के

प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेंसधारियों को ट्रेजरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं और न ही इस हेतु लाइसेंसधारी को बाध्य किया जाये।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

भवदीय

(अरविन्द मोहन)

सचिव

क्योंकि यह शासनादेश काफी लम्बा है इसलिए यहाँ पर केवल वह सदर्भ दे रहे हैं जो कि लाइसेन्स नवीकरण हेतु अनिवार्य है। लाइसेन्स नवीकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचनाएँ उद्यान विभाग ने अपने पत्र संख्या–625/58–1–2002–100.3./2002 दिनाक 17.4.2002 द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि नवीकरण के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को निम्न सूचना ही देना अनिवार्य होगी।

संख्या : 625/58–1–2002–100(3)/2002

प्रेषक,

श्री जी.डी. त्रिपाठी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2002

विषय : कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशिका

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–226/जी/शीतगृह विविध–11 दिनांक 14–3–2002 का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स स्वीकृत या नवीनीकरण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेन्सधारी से सूचना माँगी जाय :–

1. आवदेन–पत्र नियमावली में दिये गये प्रपत्र पर साफ–साफ भरा हो तथा उक्त प्रपत्र में उल्लिखित सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।
2. लाइसेन्स शुल्क/नवीनीकरण शुल्क कोषागार में जमा किये जाने की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
3. भवन सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र के लिए कम से कम किसी डिग्रीधारक सिविल अभियन्ता से, जो कि सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
4. मशीनरी सुदृढ़ता एवं कार्यशीलता तथा अवशीतन क्षमता का प्रमाण–पत्र जो कम से कम किसी ऐसे डिग्रीधारक मैकेनिकल/रेफ्रीजरेशन अभियन्ता से, जो सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
5. शीतगृह के भवन की मशीनरी का आग, ब्रेकडाउन (चाहे यान्त्रिक एवं अन्य प्रकार का हो) या किसी प्रकार से होने वाली क्षति के लिए हो, के लिए गत वर्ष कराई गई बीमा पॉलिसी कवर नोट की सत्यापित प्रति।
6. शीतगृह संचालन के लिए आवश्यक विद्युत लोड स्वीकृत हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारी द्वारा दिया गया प्रमात्र–पत्र पर्याप्त माना जाए।
7. शीतगृह की क्षमता के अनुसार शीतगृह पर अग्निशमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।
8. यदि शीतगृह पिछले वर्ष भण्डारित आलू में कोई क्षति हुई हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना।
9. यदि शीतगृह पार्टनरशिप में चलाया जा रहा हो तो पार्टनरशिप के लिए पावर ऑफ अटार्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र हस्ताक्षरित हो तथा यदि लिमिटेड कम्पनी के

अन्तर्गत चलाया जा रहा हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र साथ ही इस आशय की भी अण्डरटेकिंग दी जाये कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवेदन की तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–3532/58–1–98–100(28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर 1998 में दी गयी समयावधि अनुसार नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया तथा नये कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जी.डी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आपको अपने लाइसेन्स के नवीकरण के लिए प्रार्थना–पत्र 31 अक्टूबर तक अवश्य देना है व लाइसेन्स फीस का जमा करना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा आप पर विलम्ब फीस पड़ जायेगी जो की लाइसेन्स नवीकरण के लिए विहित फीस की आधी होगी और 31 दिसम्बर के बाद विलम्ब देने के बाद भी लाइसेन्स का नवीकरण नहीं होगा।

उच्च रक्तचाप और उसको रोकने में आलू का योगदान :

शरीर में जब रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कहा जाता है। महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण है गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन और मोटापा। इसके अलावा रक्त में अधिक लाल कणों के कारण रक्त का गाढ़ा हो जाना, हृदय के निकट की मुख्य रक्तनली का सिकुड़ना, गर्भ में बच्चे का विकृत विकास और गुर्दे के ऊपर की एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा विभिन्न हार्मोंस का अधिक स्राव करना आदि भी उसके मानसिक तनाव, चिंता, पति–पत्नी में मनमुटाव, आर्थिक चिंताएँ आदि भी हाई ब्लड प्रेशर के कारण हैं।

लक्षण :

सुबह सोकर उठने पर सिर तथा गर्दन के पिछले भाग में दर्द रहता है, जो थोड़े समय बाद ठीक हो जाता है। कभी–कभी सिर चकराना, चक्कर आना, थकान आदि लक्षण भी पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति की आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जब हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, तो हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। चलने पर सांस फूलने जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं।

घरेलू नुस्खे

- आधा कप लौकी का रस और आधा कप पानी दोनों को एक साथ मिलाकर दिन में तीन बार पीने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य होता है।
- हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर कुछ दिनों तक लगातार आधा चम्मच मेथीदाना का पाउडर पानी के साथ लेने से लाभ होता है।
- एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर हर रोज सुबह पीने से हाई ब्लड प्रेशर ठीक रहता है।
- छाछ (मट्ठा) ब्लड प्रेशर में, चाहे वह हाई हो या लो, अत्यन्त उपयोगी घरेलू नुस्ख़ा है। भोजन के साथ सुबह–शाम छाछ का सेवन करने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है।
- 5 पत्तियाँ तुलसी और 2 पत्ते नीम के कुछ दिनों तक सेवन करना भी फायदेमंद है।
- दो कली लहसुन को खाली पेट लेने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद मिलती है।
- ताँबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर में लाभ होता है।
- एक कप लौकी का रस सुबह खाली पेट लेने से हाई ब्लड प्रेशर में फायदा होता है।
- एक चम्मच प्याज़ के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह–शाम खाली पेट लें।
- हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भोजन में कच्चा प्याज़ हर रोज़ खाना चाहिए।

साभार : मेरी सहेली, अगस्त 2013

चेतावनी

उपरोक्त में दवाइयों एवं चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में तथ्यपूर्ण जानकारी देने की हमने पूरी सावधानी बरती है। फिर भी पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले अपने वैद्य या चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।

हाई ब्लड प्रेशर में लाभदायक आलू

आलू को स्टार्चयुक्त माना जाता है, इसमें 2.5 प्रतिशत प्रोटीन होता है। खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि आलू उन लोगों के लिए अच्छा आहार है, जो अपना ब्लड प्रेशर सामान्य रखना चाहते हैं। जब आलू को उबाला जाता है, तो उसका छिलका हल्का–सा नमक का अंश सोख लेता है (ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को डॉक्टर नमक न खाने या कम खाने की सलाह देते हैं)। इसी कारण इसे सॉल्ट फ्री डायट में शामिल किया जा सकता है। यह पोटैशियम से परिपूर्ण होता है, पर सोडियम सॉल्ट युक्त नहीं होता। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम किडनी के मुलायम टिश्यू को कैल्शियम युक्त होने से और पित्ताशय में पथरी बनने से रोकता है।

साभार : मेरी सहेली, अगस्त 2013

आलू भण्डारण की अविधि के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि सरकारी आदेश संख्या–3224/58–2011–100 (2)/2001 दिनांक 1 अक्टूबर 2011 के अनुसार शीतगृहों को यह कहा गया है कि वह अपने कोल्ड स्टोरेज यदि भण्डारणकर्ता की आवश्यकता हो तो 30 नवम्बर तक अवश्य चलाए, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस आदेश से शीतगृहों के भण्डारण प्रभार पर नियन्त्रण नहीं लगाया गया है। पहले की तरह ही शीतगृह अपना भण्डारण प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि शीतगृह ने 31 अक्टूबर तक के भण्डारण प्रभार की घोषणा की है तो वह नवम्बर माह भण्डारण के लिए अतिरिक्त प्रभार ले सकता है। इस सरकारी आदेश को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

संख्या : 3224/58–2011–100(2)/2001

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक
   उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2011

विषय : प्रदेश के निजी शीतगृहों में आलू के भण्डारण की अवधि का निर्धारण करने के सम्बन्ध में

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के निजी शीतगृहों में फरवरी, माह के तृतीय सप्ताह से किसानों के आलू का भण्डारण सामान्यतः प्रारम्भ हो जाता है। वर्तमान में निजी शीतगृह स्वामी शीतगृहों

में आलू भण्डारण की अवधि 15 फरवरी से 31 अक्टूबर तक ही निर्धारित करते है जबकि शीतगृहों से आलू की निकासी प्रायः नवम्बर माह के अन्त तक होती रहती है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शीतगृहों में आलू भण्डारण अवधिक को 15 फरवरी से 30 नवम्बर तक किया जाय, ताकि किसानों को शीतगृहों से भण्डारित आलू की निकासी हेतु पर्याप्त अवसर मिल सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(मुकुल सिंहल)

प्रमुख सचिव

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिगं के सम्बध में :

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग दिसम्बर माह में आयोजित की जायेगी। इस वर्ष यह मीटिंग हैदराबाद में करने का निर्णय लिया गया है। पिछले अंक में हमने अपने सदस्यों से स्थान के चयन करने की बात लिखी थी जिसमें हमें अनेक सदस्यों ने हैदराबाद में मीटिंग करने की सलाह दी। हैदराबाद रेल व हवाई मार्ग से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से अनेक ट्रेने व हवाई उड़ाने हैदराबाद के लिए है। लखनऊ से भी हैदराबाद के लिए सीधी उड़ाने हैं। हवाई भाड़ा भी काफी कम है। हैदराबाद में अच्छे होटलों की भी उपलब्धता है और पर्यटन के हिसाब से भी कई दर्शनीय स्थान हैं।

यह मीटिंग एक दिन की होगी जो कि 22 या 23 दिसम्बर, 2013 को होगी जिसकी सूचना हम अगले अंक में दे देंगे। हमारे सदस्य 15 सितम्बर, 2013 के बाद हमसे फोन पर सपंर्क करके भी होटल का नाम व मीटिंग की निश्चित तारीख पूछ सकते हैं अन्यथा पूरी जानकारी अगले अंक में दे दी जायेगी।

इस मीटिंग में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के सभी सदस्य आमंत्रित हैं और प्रयास यह भी किया जायेगा कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की भी अर्धवार्षिक मीटिंग यहाँ कर दी जाये।

मीटिंग में पहुँच कर रहने और खाने का प्रति व्यक्ति क्या खर्च देय होगा वह हम अगले अंक में लिख देंगे और अपने सदस्यों को पत्र द्वारा भी सूचित कर देंगे।

अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

सभी प्रदेशों से आलू की तेज निकासी के समाचार आ रहे हैं। शायद इसका कारण यह है कि अन्य सब्जियों के भाव आलू की तुलना में बहुत अधिक हैं। वैसे भी त्यौहारों की अधिकता के कारण भी आलू की माँग बढ़ती जा रही है।

गुजरात : गुजरात से हमें श्री गणपत कछवा व श्री भरत खूबचनदानी ने गुजरात की रिपोर्ट भेजी है जो इस प्रकार है :–

गुजरात में पुखराज आलू का रेट 10 रू से 12 रू किलो, बादशाह 11 से 13 रूपए किलो, प्रोसेसिंग वैरायटी आलू 7 से 11 रूपए किलो चल रहा है। शीतगृहों से आलू लगभग 60 प्रतिशत निकल चुका है। यह आलू अन्य प्रदेशों में न जाकर गुजरात की मण्डियों में ही बिक रहा है। आपको सितम्बर, 2013 माह में आलू के भाव बढ़ने की कोई आशा नहीं है।

उड़ीसा : उड़ीसा से श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने बताया है कि इस समय आलू के भाव 800 रूपए कुन्तल के करीब चल रहे हैं जो कि छाँटने, सूखने व बोरों में भरने के बाद के होते हैं। शीतगृहों से लगभग 35 प्रतिशत आलू निकल चुका है – (यह रिपोर्ट 9 अगस्त 2013 की है। अतः अब तक आलू की निकासी 40 प्रतिशत से ऊपर अनुमानित है।) आपको सितम्बर माह में आलू के भाव में किसी प्रकार की तेजी की आशा नहीं है। चूकि उड़ीसा में अपना आलू का उत्पादन न के बराबर होता है। अतः बाहर के प्रदेशों से यहाँ आलू आता है।

पश्चिमी बंगाल : इसी प्रकार के समाचार पश्चिमी बगांल से भी हैं जहाँ आलू निकासी की रफ्तार सन्तोषजनक है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में आलू का भण्डारण उत्तर प्रदेश की तुलना में सस्ते रेटों पर हुआ है। अतः वहाँ के भण्डारणकर्ताओं को कम हानि उठानी पड़ रही है।

गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के द्वारा एक भव्य सेमिनार का आयोजन :

गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने विजापुर में एक Seminar on Good Agricultural Practice & Remunerative Price for Potato Farming पर 21 अगस्त 2013 को एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में वक्ताओं द्वारा आलू के सही उत्पादन और उस पर कैसे ज्यादा से ज्यादा ऊँची किस्म के आलू का उत्पादन किया जाय इस पर प्रकाश डाला, जिसको आलू उत्पादकों द्वारा बहुत सराहा गया। करीब 500 श्रोताओं से खचाखच भरे हॉल में मीटिंग हॉल की साज–सज्जा देखने के काबिल थी। श्री आशीष गुरू अध्यक्ष, श्री गणपत कछवा सचिव व श्री भरत खूबचनदानी संयुक्त सचिव, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन इस सफल आयोजन के लिये बधाई के पात्र हैं।

श्री महेन्द्र स्वरूप, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया सभा को सम्बोधित करते हुए।

श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन श्री महेन्द्र स्वरूप को प्रशस्ति–पत्र प्रदान करते हुए।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित